फोन/फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

कार्यालय–उप निदेशक/उप वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 341 /12-1 देहरादून, दिनांक 03-03, 2021

सेवा में,

निदेशक /वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून।

विषयः– **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 155/2018 के अन्तर्गत जनपद–पौड़ी गढ़वाल टिहरी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/44583/2020**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल सं0 8बी/यू.सी.पी./06/159/2020/एफ0सी0/2058 दिनांक 29–12–2020 एंव आपका ई0डी0एस0 दिनांक 02–01–2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र में इंगित बिन्दुओं की ऑनलाईन सूचना /अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा (गढ़वाल) द्वारा अपने पत्र सं0 664/5सी दिनांक 22–02–2021 (प्रति संलग्न) से इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी एंव प्रभाग स्तर से आनलाईन आपत्तियों का निराकरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नवत् प्रेषित हैः–

आनलाईन ई0डी0एस0 आपत्तियों का विवरण	आनलाईन ई0डी0एस0 आपत्तियों का निराकरण
1- It is seen that 0.24 ha. Area proposed for bridge and 0.27 ha area for approach road. Width of both is proposed as 12m. As per the norms of Indian Road Congress:5.2-2019, RoW may be kept as 9 m and not on 12 m but cutting can be done only in 5-2 m width. State Government will accordingly revise the proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी / अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा (गढ़वाल) द्वारा उक्त पत्र दिनांक 22–02–2021 में उल्लेख किया है कि उक्त मार्ग जनपद हरिद्वार एंव जनपद–पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। उक्त मार्ग का उपयोग डाडामण्डी के 27 ग्राम सभाओं के अतिरिक्त कॉवड़ मेला एंव महाकुम्भ मेला तीर्थ यात्रियों को ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला एंव नीलकण्ठ महादेव मंदिर तक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जो कि आपात स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग 58/7 के विकल्प के रूप में प्रयोग होता है। डबल लेन सेतु के लिऐ मुख्य जिला मार्ग के अनुसार भूमि अर्जन कम से कम 12 मी0 होती है जो कि आई0आर0सी0–52.2019 के पैरा 6.2.1 में विस्तृत रूप से दिया गया है। अतः पूर्व में भेजे गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में डबल लेन सेतु /मोटर मार्ग के लिऐ 12.0मी0 चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। संगत दस्तावेज आई0आर0सी0–52.2019 के पैरा 6.2.1 की प्रति संलग्न है।
2- Comments of DFO at para 5.4 in his SIR is not matching with the details filled at para 8(v) in Part II. State Government may submit clarification in this regard.	Comments of DFO at para 5.4 in SIR is matching with the details filled at para 8(v) in Part II. इस हेतु Part-II की प्रति संलग्न है।

3-	State Government may uploaded /submit the revised NPVcalculation sheet as the area falls in Rajaji Tiger Reserve.	राजा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत प्रस्तावित डबल लेन आर0सी0सी0 पुल एंव एप्रोच मार्ग मार्ग हेतु प्रभावित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि का संशोधित आंकलन कर तत्संबन्धी प्रमाण–पत्र / एन0पी0वी0 गणना शीट की प्रति संलग्न है।
4-	Muck disposal plan not found uploaded. State Government mayupload the complete muck disposal plan including the details like quantity of muck likely to be generated including swell factor, quantity of muck likely to be utilized and the balance quantity to be disposed of at identified muck disposal sites duly approved by the DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी / अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा (गढ़वाल) द्वारा उक्त पत्र दिनांक 22–02–2021 में उल्लेख किया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(वन्यजीव प्रभाग) की फाईल सं0 6–154/2019 WL दिनांक 21–01–2020 Munutes of 56th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild life held on 17th Dec 2019 के एजेन्डा न0 2 के पैरा 56.4.3 के बिन्दु 5 के अनुसार पुल के पाये की ऊंचाई 8मी0 निर्धारित की गयी है। जिसके अनुसार एप्रोच को लगभग 11 मी0 उठाना होगा, जिसकी औसतन ऊंचाई उत्तर की ओर 1.58मी0 आती है तथा दक्षिण की ओर 3.2मी0 आती है, जिसके अनुसार (100x12x1.58=1896 तथा 125x12x3.2=4800) कुल 6696 घन मी0 मृदा की आवश्यकता होगी। क्योंकि सेतु में वैल फाउन्डेशन का निर्माण किया जाना है, जिसमें मृदा नींव निर्माण के दौरान प्राप्त होगी। उस मृदा को ही वैल फाउन्डेशन को भरने हेतु प्रयोग में लिया जायेगा, जिस कारण मलवा निस्तारण हेतु Dumping Zone/ स्थल की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार।

भवदीय

(पुनीत तोमर,IFS)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 341 **/दिनांकित।**

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा (गढ़वाल) को उनके पत्र सं0 664/5सी दिनांक 22–02–2021 के क्रम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत तोमर,IFS)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।